UPKJ010006542026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश , कन्नौज।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–321/2026

अनवर पुत्र निसार निवासी सैय्यदबाड़ा कस्बा व थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य **.....अभियोजनपक्ष।**

मुकदमा अपराध संख्या–666/2025
धारा–109(1), 191(2), 191(3), 351(3), 352, 131, 190, 115(2) बी.एन.एस. व धारा–7 सी.एल.ए. एक्ट व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना–छिबरामऊ जनपद कन्नौज।

जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

1. उपरोक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **अनवर** द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. ऊपर वर्णित अभियोग में जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वह निर्दोष है। उसने उपरोक्त तथाकथित घटना कारित नहीं की है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्बित है। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमन्चा बरामद नहीं हुआ है। उसे पुरानी रंजिश के कारण झूँठा फँसाया गया है। वह दिनांक 24.12.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। जमानत पर मुक्त होने पर साक्ष्य प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए जमानत की याचना की गई है।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथनों पर अभियोजनपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान ज़िला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा विरोध किया गया तथा कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का है।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी अंसार ने एक तहरीर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली गुरसहायगंज को इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 29.11.2025 को समय करीब 6:20 बजे शाम को पुरानी रंजिश को लेकर उसके मोहल्ले के फैय्याज, अनस, अनवर, जीसान, फैसल, फैज उसके दरवाजे पर आए और माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे और जब वह व उसके घर पर मौजूद उसकी मौसी का लड़का सरताज ने गाली गलौज का विरोध किया तो उपरोक्त लोगो ने अपने हाथ में लिये अवैध तमंचे से फायर कर दिए,जिससे वह बाल बाल बच गया एवं सरताज के दाएँ पैर में गोली लग गई, जिससे सरताज वहीं पर मरणासन्न होकर गिर पड़ा। इसके पश्चात उपरोक्त लोगों ने कई राउण्ड फायर किए व ईंट पत्थरों से हमला भी कर दिया। चीख पुकार सुनकर मौके पर काफी लोग आ गए एवं तभी पुलिस भी आ गई तब उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। उपरोक्त लोग अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं एवं आये दिन उसके व उसके परिवार के साथ मारपीट करते हैं एवं किसी भी दिन उसके व उसके परिवार के साथ अनहोनी घटना घटित कर सकते हैं। उक्त घटित घटना उसके घर पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरा में भी रिकार्ड हुई है, जिसका वीडियो भी मौजूद है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्रवाई करने की याचना की गई है।

5. वादी की तहरीर के आधार पर थाना छिबरामऊ में अभियुक्तगण फैय्याज, अनस, अनवर, जीसान, फैसल व फैज के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–666/2025 अपराध

अन्तर्गत **धारा–109(1), 191(2), 191(3), 351(3), 352, 131, 190, 115(2) बी.एन.एस. व धारा–7 सी.एल.ए. एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।**

6. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं ज़िला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं केस डायरी तथा अन्य पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी व उसका मौसी का लड़का सरताज जब घर पर थे,को बुरी–बुरी गालियां देते हुए ईट पत्थरों से हमला करने, जान से मारने की नीयत से फायर करने सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में नामजद है। पत्रावली पर उपलब्ध मजरूब सरताज के चिकित्सीय रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि मजरूब के दाएँ पैर के निचले हिस्से में, टखने से लगभग 6 सेंटीमीटर ऊपर 2.5 × 1.5 सेंटीमीटर का गहरा कटा–फटा घाव है। घाव के किनारे सीधे नहीं हैं और उसमें ताज़ा खून निकलना दर्शाया गया है। थाने की आख्या के अनुसार दिनांक 29.11.2025 को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा वर्तमान अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस कस्टडी रिमाण्ड के दौरान बरामद होना बताया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित होना बताया गया है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की प्रबल संभावना है तथा उसके फरार होने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

8. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर केस के गुणदोष पर न जाते हुए अभियुक्त **अनवर** उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **अनवर** की ओर से **मुकदमा अपराध संख्या–666/2025, धारा–109(1), 191(2), 191(3), 351(3), 352, 131, 190, 115(2) बी.एन.एस. व धारा–7 सी.एल.ए. एक्ट व धारा 3/25/27 थाना–छिबरामऊ जनपद कन्नौज** के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–10.03.2026

(हरि प्रसाद)
कृते सत्र न्यायाधीश/
अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या–1
कन्नौज।
(J.O.CODE No–UP 6489)